न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00012)

1. ज्यानकीदेवी पत्नी महावीर प्रसाद
2. प्रेमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद
3. ज्ञानप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद
4. हरिप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद
5. बिन्दूबाला पुत्री महावीर प्रसाद

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. सन्तकुमार पुत्र रामस्वरूप
3. मुरारीलाल पुत्र रामस्वरूप
4. मैना पुत्री रामस्वरूप
5. कृष्णा पुत्री रामस्वरूप
6. शारदा पुत्री रामस्वरूप
7. शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप
8. बिमला बैवा रामस्वरूप

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री संतनाथ योगी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 10.10.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण संख्या 374 ग्राम पंचायत चान्दगोठी द्वारा दिनांक 5.12.2011 को पारित किये गये आदेश के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू में प्रथम अपील पेश कर नामान्तरकरण संख्या 374 को अपास्त कर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2017 द्वारा अपीलान्ट्स की अपील तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड कर उभय पक्ष को सुनकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 06.09.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 8 के खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाहने पर इनकी तामिल बन्द कर पत्रावली बहस में रखी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि रौही मौजा चांदगोठी के वर्तमान खसरा नं. 82 रकबा 3.96 हैक्टेयर, खसरा नं. 84 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 85 रकबा 3.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 848 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 951 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 952 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा नं. 953 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 985 रकबा 2.53 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 17.13 हैक्टेयर अपीलान्ट्स के पति एव पिता स्व. महावीर प्रसाद के नाम से खातेदारी थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त रकबे का विरास्तन इन्तकाल सं. 374 भरा गया जो अपीलान्ट्स के नाम से भरा गया तथा पटवारी हल्का के द्वारा उक्त इन्तकाल में कुर्सीनामा भी दर्ज किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत चांदगोठी के द्वारा इसकी पुश्त पर लिखा कि उक्त भूमि का दावा सं. 106/06 अनुवान रामस्वरूप बनाम महावीरप्रसाद कलक्टर के सहायक कलक्टर राजगढ मे चल रहा है ग्राम पंचायत ने सर्व समति से निर्णय लिया कि उक्त कृषिभूमि पर विवाद है इसलिए इसे स्वीकृत नही किया गया। उक्त आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ में की गई, जिसे उन्होने अपने अपीलाधीन निर्णय में आंशिक स्वीकार की गई जो पूर्णतया गलत है। किसी भी कृषि भूमि के खातेदार का स्वर्गवास होने पर उसके स्थान पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसानो के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता है, अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम से नही। महावीर प्रसाद के प्रथम श्रेणी के वारिसान केवल मात्र अपीलान्ट्स है।

नामान्तरकरण सं. 374 मे वर्णित भूमि पर किसी न्यायालय को कोई स्थगन आदेश नही था तो ग्राम पंचायत को विरासतन इन्तकाल अस्वीकृत करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। ग्राम पंचायत ने जानबूझ कर राजनैतिक दृवेशता की वजह से यह कार्यवाही की तथा उसके विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय ने भी गलती को बरकरार रखा। यदि कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है तो दावे के निर्णय के अनुसार रेकार्ड में इन्द्राज हो जाते, अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय को दो भागो में बाट दिया। जिसे कायम नही रखा जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अपीलाधीन दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर विरासतन इन्तकाल सं. 374 स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट्स ने जिस कृषि भूमि के नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज किये जाने के लिए अपील प्रस्तुत की है उक्त कृषि भूमि का दावा आज भी पेडिग है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2017 द्वारा प्रकरण को तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड कर स्व. महावीर प्रसाद की स्वार्जित सम्पत्ति की जांच कर उभय पक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया है जो सही है। रिमाण्ड प्रकरण में वहा जांच हो जायेगी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया । प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 26.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होने ग्राम पंचायत चान्दगोठी के निर्णय दिनांक 05.12.2011 ग्राम चान्दगोठी के नामान्तरकरण संख्या 374 को दावा सं. 160/06 अनवान रामस्वरूप बनाम महावीर प्रसाद सहायक कलक्टर न्यायालय राजगढ में जैरकार होने के आधार पर खारिज किया गया के विरूद्व आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए

अति. सहायक आयुक्त
कोटपुतली

खं. नं. 82, 953, 985 की कुल तादादी 9.63 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र के अनुसार सहायक कलक्टर राजगढ के यहा विचाराधीन वाद में सम्मलित नही होने के आधार पर प्रकरण को तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड किया गया है। शेष खसरा नम्बरान 84, 85, 848, 951, 952 के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर राजगढ के न्यायालय में उक्त वाद अभी भी विचाराधीन होना बताया गया इसलिए विचाराधीन वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय अनुसार ही किया जाना है। ऐसी स्थति में उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.प्र.च.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।